रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266701
SG-DL-E-06102025-266701

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 264
No. 264]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947	[N. C. T. D. No. 264

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

फा.सं.. 6/28/2025–न्यायिक/अधी.fविधि./1838-45.—दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा श्री वीरेन्द्र नेगी को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर योग्यता क्रम में अस्थायी क्षमता पर नियमित पदों के निमित्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम आधार पर हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा उनके जाति प्रमाण पत्र/शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी प्रमाण पत्र, जहाँ भी लागू हो, के सत्यापन के अधीन हैं। यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी से संबंधित होने का दावा, जैसा भी मामला हो, असत्य है, तो बिना कोई और कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा सकने वाली ऐसी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपरोक्त नियुक्ति दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के प्रावधानों और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर समय–समय पर लागू होने वाले अन्य आदेशों/अनुदेशों के अधीन होगी।

4. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2024 के आधार पर चयनित एवं दिनांक–12/09/2025 की अधिसूचना द्वारा नियुक्त, अन्य उम्मीदवारों की तुलना में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में उपर्युक्त उम्मीदवार की पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो इन्हें दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दी गई है।

5. इस पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 19 के अनुसार तालिका 1 के स्तर जे–5 में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों का वेतनमान 144840–194660/– रुपये तथा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य भत्ते दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मोहिन्द्र विराट, विशेष सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2025

F. No 6/28/2025-Judl./Suptlaw/1838-45.—In pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Mr. Virender Negi, as member of the Delhi Higher Judicial Service against permanent post in temporary capacity in order of merit on a probation period of two years w.e.f. the date he assumes the charge of his office.

2. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the above candidate from the concerned authorities and verification of his caste certificate/PH category certificate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the *Bhartiya Nyaya Sanhita*, 2023 for giving false certificate.

3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Higher Judicial Service from time to time.

4. The inter-se seniority of the above-named candidate in the Delhi Higher Judicial Service vis-a-vis other candidates, selected, on basis of Delhi Higher Judicial Service Examination, 2024, and appointed vide notification dated 12.09.2025, shall remain the same as assigned to him in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.

5. The post carries the scale of pay of members of the Delhi Higher Judicial Service Rs.144840-194660 in level J-5 of Table 1 r/w Rule 20 of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 plus admissible allowances, as are admissible under relevant Rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
sof the National Capital Territory of Delhi,

MOHINDER VIRAT, Sp. Secy. (Law, Justice & LA)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.06 16:30:07 +05'30'